न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 191/2026

पंजीकरण संख्या – 191/2026

(बाल्मीकिनगर थाना कांड संख्या– 23/2026 से उद्भूत)

गोलु साह एवं 08 अन्य बनाम् बिहार राज्य।

15.04.2026 :– आवेदक अभियुक्तगण **1. गोलु साह 2. शिव साह 3. दुर्गा कुमारी 4. जटाशंकर साह 5. सुन्दरम साह 6. उषा देवी 7. प्रियंका देवी 8. गोली कुमारी उर्फ डौली देवी 9. खुशबू देवी** की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुये दाखिल किया गया है। दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन आज प्रचालित किया गया। यह वाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2),115(2),118(1),303(2),151,3(5) के अन्तर्गत है तथा मूल केस विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम बगहा, पश्चिम चम्पारण के न्यायालय में लंबित है। कांड दैनिकी उपलब्ध है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत प्रसाद एवं अभियोजन के विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक श्री प्रभु प्रसाद उपस्थित हुए।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका ने कथन किया है कि दिनांक 11.02.2026 को समय करीब 09 बजे रात्रि में मेरे के दूकान पर आकर अभियुक्तगण मेरी पुत्री आरती कुमारी को लकड़ी के चैयला से मारकर उसका सर फाड़ दिया, जिससे वह काफी जख्मी हो गई और जमीन पर गई गई। उसके बाद भी सभी लोग चैयला से मारपीट करते रहे। मेरा बेटा जब बचाने गया तो उसे भी मारपीट कर चंदन को माफी जख्मी कर दिये। मारपीट के क्रम मे मेरी बेटी के गले से सोने का चैन एवं सोने के वाली निकाल लिये। मारपीट का कारण है कि दूकान पर खाना खाने के लेकर विवाद हुआ है। सभी लोग हत्या करने का धमकी दिये। मेरी बेटी प्रिती देवी गर्भवती है, उसे भी काफी मारपीट किया गया।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं प्राथमिकी में लगाए गए आरोपो जैसा कोई अपराध नही किया है। आवेदक अभियुक्तगण को केवल किसी विशेष उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप झूठे, बनावटी एवं काल्पनिक है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं की गई है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नही है। दोनो पक्षों मे पलटा वाद है। इस वाद की सूचिका बिंदा देवी बाल्मीकिनगर थाना कांड सं0 22/2026 से अपना गर्दन बचाने के लिए यह झूठा मुकदमा किया है। प्राथमिकी मे लगाए गए भा.न्या.सं. की धारा 118(1),303(2),151 को छोड़कर सभी धाराऐं जमानतीय प्रकृति के है। झूठे और काल्पनिक आरोपों के आधार पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय के सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है, अतः आवेदक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक ने आवेदक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया।

उभय पक्षों को सुना। अग्रिम जमानत आवेदन तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। प्राथमिकी अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका बिंदा देवी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर बाल्मीकिनगर थाना द्वारा बाल्मीकिनगर थाना कांड संख्या

लगातार....

15.04.2026

23/2026 आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका की पुत्री एवं पुत्र को मारपीट कर जख्मी कर देने एवं सोने का चैन एवं सोने का वाली ले लेने के आरोप के कारण दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 18 में आपराधीक इतिहास का जिक्र किया गया है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधीक इतिहास नही है एवं कांड दैनिकी के कंडिका 15 में जख्म प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि जख्म साधारण प्रकृति का है। उभय पक्षों मे पलटा मुकदमा है एवं चार आवेदिक अभियुक्त महिला है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं विद्वान अभियोजन के कथन के आलोक में आवेदक अभियुक्तगण **1. गोलु साह 2. शिव साह 3. दुर्गा कुमारी 4. जटाशंकर साह 5. सुन्दरम साह 6. उषा देवी 7. प्रियंका देवी 8. गोली कुमारी उर्फ डौली देवी 9. खुशबू देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर आवेदक अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तार होने की स्थिति में मो0– 10,000/– रूपये के दो समान प्रतिभु दाखिल करने पर भा.ना.सु.सं. की धारा 482(2) के अंतर्गत प्रावधानित शर्तो पर इन्हें जमानत पर मुक्त करें।

लेखापित

(मानवेन्द्र मिश्र)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांक – 15.04.2026

Date Of Order	15-04-2026
Date Of Reserving Order	06-04-2026
Date Of Uploading	17-04-2026
Uploaded By	Rahul Kumar (Stenographer)